न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फर्रूखाबाद

उपस्थितः– तरूण कुमार सिंह–I––––––––––––––एच०जे०एस० J.O.Code–UP6264

विशेष सत्र परीक्षण संख्या– **546/2023**

राज्य प्रति **उपेन्द्र उर्फ भंवरलाल**

मु०अ०सं०–51/2023

धारा– 302, 201 भा.दं.सं. व

धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम

थाना– मऊदरवाजा

जिला– फर्रूखाबाद

दिनांकः 13.07.2026

पत्रावली पेश हुई। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14 बी व आपत्ति दिनांकित 25.06.2026 पर उभयपक्ष को पूर्व में सुना जा चुका है।

अभियोजन द्वारा प्रार्थना पत्र का.सं. 14B इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त सत्र परीक्षण में पी.डब्लू. 5 सन्तोष का बयान पंचसाक्षी के रूप में अंकित किया जा चुका है। उक्त साक्षी पंचनामें का साक्षी है। पत्रावली के अवलोकन से विदित हुआ कि उक्त साक्षी पी.डब्लू. 5 सन्तोष घटना का चक्षुदर्शी साक्षी भी है। उक्त साक्षी के घटना का चक्षुसाक्षी होने के कारण उसका न्यायहित में पुनः आहूत होकर साक्ष्य अंकित कराया जाना न्यायहित में एवं सत्यता के परिक्षण हेतु आवश्यक है। यदि उक्त साक्षी को पुनः आहूत कर उसका परीक्षण नहीं कराया गया तो न्यायालय के समक्ष सत्य तथ्य नहीं आ पायेगें। अतः न्यायहित में पी.डब्लू. 5 सन्तोष को पुनः आहूत कर साक्ष्य अंकित कराये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

उक्त प्रार्थना पत्र पर बचाव पक्ष द्वारा आपत्ति दिनांकित 25.06.2026 इस आशय की प्रस्तुत की गयी है कि प्रार्थना पत्र विधि विरुद्ध एवं विधिक रूप से पोषणीय नही है। कथन के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियोजन पक्ष सत्र वाद में पी०डब्लू०–10 तक अभियोजन साक्षी परीक्षित होने के उपरान्त वर्तमान स्तर पर पी०डब्लू०–5 की पुनः परीक्षा का अधिकार नहीं है। अभियोजन साक्षी 5 सन्तोष कुमार कथित रूप में प्रथम सूचना रिपोर्ट तहरीर का लेखक, फर्द खोखा एवं पंचायतनामा में पंच साक्षी है। इसी स्थिति का साक्ष्य उपरोक्त साक्षी सं० 5 द्वारा पूर्व में परीक्षित होने पर दिया गया है। अभियोजन का कथन कि उपरोक्त साक्षी चक्षुदर्शी साक्षी है, असत्य कथन है, क्योंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट तहरीर प्रदर्श क–1 का लेखक स्वयं पी०डब्लू०–5 है, तहरीर में एवं मुकदमा कायमी में चक्षुदर्शी साक्षी वादिनी पी०डब्लू०–1 पुष्पा देवी द्वारा अंकित नहीं कराया गया है। माता मृतका/वादिनी पी०डब्लू०–1 पुष्पा देवी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में पी०डब्लू०–5 सन्तोष कुमार को तहरीर लेखक होने का कथन किया गया है। घटना साक्षी होने का साक्ष्य नहीं दिया गया है। पूर्व में परीक्षित साक्षी पी०डब्लू० 5 सन्तोष कुमार द्वारा अपने मुख्य परीक्षा कथनों में घटना का चक्षुदर्शी साक्षी होने का कथन नहीं किया गया है। पी०डब्लू०–5 सन्तोष कुमार द्वारा प्रतिपरीक्षा बयान

Digitally signed by TARUN KUMAR SINGH
Date: 2026.07.13 16:14:25 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

पृष्ठ–2 " घटना वाले दिनांक पर मैं अपने पिताजी की मौसी की बेटी की शादी में ग्राम गौरपुर कायमगंज गया था। फर्रूखाबाद शहर से उपरोक्त ग्राम गौरपुर लगभग 40 किलोमीटर दूर होगा। फोन मेरे पास मऊदरवाजा से गया था। मेरे पास फोन लगभग 10 बजे गया था। " आगे प्रतिपरीक्षा इसी साक्षी पृष्ठ–2 " इस केस की घटना के सम्बन्ध में मुझे कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। मेरे सामने मृतका ज्योति की घटना नहीं घटी है। पुलिस को भी पूँछतांछ में मैंने घटना के सम्बन्ध में कोई व्यक्तिगत जानकारी न होने की बात बतायी थी। पुलिस ने पूँछताछ में मेरे बयानों में क्या लिखा है नही बता पाऊँगा। घटना के सम्बन्ध में जानकारी होने के सम्बन्ध में कोई कनीन मेरे बयानों में लिखा हो तो वह गलत होगा।" आगे प्रतिपरीक्षा इसी साक्षी पृष्ठ–2 " ज्योति की मृत्यु के सम्बन्ध में अब तक मुझे किसी प्रकार की जानकारी नहीं हुई कि ज्योति की मृत्यु किस प्रकार हुई। " उक्त प्रकार चक्षुदर्शी साक्षी होने के विन्दु पर साक्ष्य देने हेतु पुनः परीक्षा हेतु उक्त साक्षी को आहूत किये जाने का कोई आधार नहीं है। अभियोजन पक्ष द्वारा विचाराधीन बन्दी को लम्बी अवधि तक हैरान परेशान करने की गरज से पी०डब्लू०–5 को पुनः परीक्षा हेतु आहूत करने करने का आवेदन पत्र दिनांक 04/05/26 को आधारहीन कथनों पर प्रस्तुत करके कार्यवाही को विलम्बित किया जा रहा है। उपरोक्त प्रकार कार्यवाही के वर्तमान स्तर पर जब अभियोजन पक्ष गवाहान सूची के तथ्य/घटना सम्बन्धी सभी साक्षीगण परीक्षित हो चुके है। विलम्ब से आधारहीन कथनों पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र दिनांक 04/05/26 उक्त वर्णित निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि पी.डब्लू. 5 सन्तोष कुमार का साक्ष्य दिनांक 11.08.2025 को पूर्ण हो चुका है तथा अभी तक अभियोजन द्वारा इस मामलें में पी.डब्लू. 10 तक का बयान अंकित कराया जा चुका है। इस स्तर पर अभियोजन द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन का कथन है कि उक्त साक्षी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी है, किन्तु चक्षुदर्शी साक्षी होने के सम्बन्ध में उसका बयान पूर्व में त्रुटिवश अंकित नहीं कराया जा चुका था। चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में उसका बयान अंकित कराया जाना न्यायहित में अत्यन्त आवश्यक है।

पी.डब्लू. 5 सन्तोष कुमार उक्त मामलें में तहरीर लेखक है। इसके अतिरिक्त यह पंचायतनामा एवं फर्द बरामदगी का साक्षी है।

इस साक्षी द्वारा अपने बयानों में कथन किया गया है कि थाने पर पुष्पा देवी ने मुझसे एक तहरीर लिखवायी थी। पुष्पा देवी ने जो बोला था, वही मैनें लिखा था। तहरीर प्रदर्श क–1 में साक्षी सन्तोष कुमार की घटनास्थल पर उपस्थिति नहीं दर्शायी गयी है। इसके अतिरिक्त पी.डब्लू. 1 मुकदमा वादिनी द्वारा अपने बयानों में सन्तोष कुमार के घटनास्थल पर उपस्थित होने का कथन नहीं किया गया है तथा जिरह में कथन किया गया है कि " मैनें अपनी रिपोर्ट में उपेन्द्र जिस मकान में रहते थे, उनको व आस–पास के रहने वालों को गवाह नहीं बनाया है। मै ही अकेली थी और कोई वहाँ नहीं था।"

पी.डब्लू. 5 सन्तोष कुमार द्वारा भी अपनी जिरह में यह स्वीकार किया गया कि इस केस की घटना के सम्बन्ध में मुझे कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। मेरे सामने मृतक ज्योति की घटना नहीं घटी है। पुलिस को भी पूछताछ में मैनें घटना के सम्बन्ध में कोई व्यक्तिगत जानकारी न होने की बात बतायी थी।

चूंकि पी.डब्लू. 1 एवं स्वयं पी.डब्लू. 5 सन्तोष कुमार द्वारा घटनास्थल पर उपस्थित होने के सम्बन्ध में कोई कथन नहीं किया गया है। पी.डब्लू. 5 सन्तोष कुमार स्वयं तहरीर लेखक है, यदि वह घटनास्थल पर उपस्थित होता तो अपनी उपस्थिति के सम्बन्ध में तहरीर में इसका उल्लेख अवश्य करता।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अभियोजन द्वारा ऐसा कोई स्पष्ट कारण अंकित नहीं किया गया है कि पूर्व में अंकित बयान के समय उसका सम्पूर्ण बयान घटनास्थल पर उपस्थिति के सम्बन्ध में क्यों नहीं अंकित कराया गया था ?

प्रस्तुत मामलें में अभियुक्त घटना के पश्चात से जेल में निरूद्ध है। जिस कारण इस पत्रावली का निस्तारण माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार अतिशीघ्र किया जाना है। अतः ऐसी स्थिति में पी.डब्लू. 5 सन्तोष कुमार को साक्ष्य हेतु पुनः तलब किये जाने का कोई आधार नहीं है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र में कोई विधिक बल प्रतीत नहीं होता है। तद्नुसार अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14B खारिज किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14B अन्तर्गत धारा 311 दं.प्र.सं. **खारिज** किया जाता है। पत्रावली वास्ते शेष साक्ष्य लन्च बाद पेश हो।

दिनांकः–13.07.2026

(**तरूण कुमार सिंह–I**)

विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी०एक्ट)/

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फर्रुखाबाद।